//स्टेशनरी व सामान्य सामग्री तथा कम्प्यूटर हेतु निविदा प्रपत्र–01 //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यालयीन उपयोग में प्रयोग की जाने वाली आवश्यक स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री तथा फोटोकापी/कम्प्यूटर प्रिंटर मशीन टोनर, ड्रम, फिक्सींग फिल्म कम्प्यूटर, फैक्स कार्टेज के क्रय हेतु वर्ष 2020--21 (एक वर्ष अथवा आगामी निविदा स्वीकृति की तिथि तक, जो भी पहले हो) की अवधि के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा की नियम एवं शर्त निम्नानुसार होगी :–

1. निविदा करने वाली फर्म का वार्षिक टर्न ओवर राशि रू. 5,00,000/– (रूपये पॉच लाख मात्र) होना चाहिए। (वित्तीय वर्ष 2019–20 का अंकेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है)।
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रूपये 500/– (रूपये पॉच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, बैंक ड्राफ्ट राज्य स्वास्थ्य समिति, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पक्ष में देय होगा, जो कि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।
3. निविदा प्रपत्र दिनांक 20/12/2020 से 11/01/2021 तक, पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज इत्यादि विभागीय वेबसाइट **www.cghealth.nic.in** एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कार्नर) सेक्टर 27, नवा रायपुर अटल नगर, कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।
4. "राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Black Listed) सूचीबद्ध नहीं है" संबंधी शपथ पत्र/घोषणा पत्र 100/–रू. के स्टाम्प पेपर में संलग्न प्रारूप अनुसार दिया जाना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट– 'ब' देखें)।
5. किसी भी शासकीय संस्था को कालीसूची में दर्ज संस्था/फर्म का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर निविदा के किसी भी स्तर पर उक्त फर्म को जारी आदेश तत्काल अमान्य माना जावेगा तथा किसी भी प्रकार का दावा/देयक के भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
6. विभिन्न आयटमों के लिए पृथक–पृथक दर देना अनिवार्य होगा तथा आयटम का मेक, कंपनी, साईज जैसी स्थिति हो तो स्पष्ट एवं पूर्ण उल्लेख किया जावे ।
7. प्रस्तावित दर समस्त करों को शामिल कर प्रेषित करें।
8. सामग्री एवं सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय, सेक्टर–27 नवा रायपुर अटल नगर में प्रदाय के लिए आवश्यक संसाधन तथा परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग का व्यय निविदादाता को स्वयं करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
9. निविदाकर्ता की फर्म का व्यापार पंजीयन एवं GST No. तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 व 2019–20 (उपलब्धतानुसार) की आयकर विवरण की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
10. निविदा प्रस्तुतकर्ता को प्री–क्वालिफिकेशन रिकार्ड के साथ ई.एम.डी. (अमानत राशि) का एक लिफाफा "ए"(स्टेशनरी व सामान्य सामग्री हेतु **अथवा** कम्प्यूटर सामग्री हेतु **अथवा** स्टेशनरी व सामान्य सामग्री तथा कम्प्यूटर हेतु) जिसमें किस कार्य हेतु निविदा भरी गई है को दर्शाते हुए पूरा नाम एवं पता स्पष्ट अंकित कर तथा दूसरा लिफाफा "बी" में प्राइस बीड (मूल्य सूची) डालें।
11. निविदा के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति रायपुर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड/एफ.डी.आर.राशि रू.10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) अमानत राशि (ई.एम.डी.) के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा **दिनांक 12/01/2021 को समय 03:00 बजे तक** ही स्वीकार की जाएगी तथा प्राप्त समस्त निविदा **दिनाक 12/01/2021 को समय 04:00 बजे** विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जाएगी।

क्रमशः 2..

4

13. सामग्री पूर्ति हेतु उक्त निविदा स्वीकृति तिथि से (एक वर्ष अथवा आगामी निविदा स्वीकृति की तिथि तक, जो भी पहले हो) की अवधि के लिए के लिये मान्य होगी। कार्य संतोष जनक होने की स्थिति में एवं पूर्व स्वीकृत निविदा दर अनुसार सामग्री आपूर्ति हेतु सहमति पत्र/शपथ पत्र दिये जाने की स्थिति में निविदा अवधि आगामी अधिकतम दो (02) वर्ष हेतु वृद्धि किया जा सकता है।
14. निविदा की दरें स्वीकृत होने पर निविदादाता इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह आदेशित सामग्री सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रदाय करें। अन्यथा उक्त क्रयादेश निरस्त माना जावेगा तथा कार्यालय द्वारा L-2 फर्म से सामग्री क्रय किया जावेगा। जिस हेतु चयनित फर्म की कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
15. क्रयादेश जारी होने के सात दिवस के भीतर भी सामग्री प्रदाय नहीं करने की स्थिति में EMD/Performance Guarantee जप्त की जावेगी तथा फर्म को काली सूची में सूचीबद्ध कर दिया जावेगा। जिस हेतु फर्म का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
16. गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दरों पर निविदा में सम्मिलित सामग्रियों का आवश्यकतानुसार नमूना के आधार पर चयन किया जायेगा तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये नमूना अनुसार सामग्री मुद्रित कराकर निविदादाता द्वारा प्रदाय की जावेगी।
17. निविदा प्रपत्र में दर्शित सामग्री की दरें न्यूनतम एवं स्वीकृत होने पर समस्त सामग्री क्रय करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा। विभाग अपनी आवश्यकता व गुणवत्ता अनुसार ही क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।
18. स्वीकृत निविदादाता को मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशों अनुसार सामग्री प्रदाय करना होगा। बजट आबंटन की उपलब्धता के अनुसार क्रय आदेश दिया जा सकेगा।
19. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत, निरस्त करने का अधिकार "मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़" के पास सुरक्षित होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
20. उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तों का सूक्ष्म अध्ययन एवं मान्य होने की स्थिति में ही निविदा जमा करें, किसी भी परिस्थिति में सक्षम अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ का निर्णय मान्य होगा।
21. संबंधित फर्म का यह दायित्व होगा की गुणवत्तायुक्त सामग्री/सेवा प्रदान करें, सामग्री प्रदान किये जाने में हीलहवाला/गुणवत्ताविहीन होने की परिस्थिति निर्मित होने पर निर्धारित दर में कटौती अथवा कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
22. L-1 का चयन फर्म द्वारा दी गई प्रत्येक सामग्री का दर को जोड़कर कुल सामग्री की संख्या से भाग देने पर जो दर प्राप्त होगा, इस आधार पर L-1 का चयन किया जावेगा **अथवा** फर्मों द्वारा दी गई सामग्री की दर तुलनात्मक दर में कम दर होने के आधार पर L-1 का चयन किया जावेगा।
23. किसी ब्रांड का नाम नहीं दिया गया वह उच्चतम क्वालिटी/नामी ब्रांड का होना चाहिये।
24. उल्लेखित शर्तो/कंडिका का पालन नहीं किये जाने पर अथवा किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने पर सुरक्षा निधि जब्त करते हुए फर्म को कालीसूची में पंजीबद्ध किये जाने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा तथा आवश्यकतानुसार न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी ।
25. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर परिवाद–विवाद दायर हेतु क्षेत्र माननीय न्यायालय रायपुर होगा ।

उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
रायपुर, छ0ग0